अध्याय – 3

पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व वास्तविक स्थिति एवं चुनौतियाँ

भारत की संघीय व्यवस्था में लोकतान्त्रिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के एक सशक्त प्रयास के रूप में संविधान में 73 वाँ संशोधन किया गया, जिसमे एक वंचित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई | ताकि नागरिकों की आधी आबादी को अपनी समकक्ष दूसरी आधी आबादी के समान स्तर पर लाया जा सके | हालाँकि इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो अवश्य ही बढ़ी लेकिन उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर नहीं लाया जा सका | अतः इस सन्दर्भ में कुछ विशेष प्रावधानों के निर्माण की लगातार बढती मांग के सन्दर्भ में कुछ राज्यों ने साहसिक कदम उठाये और महिलाओं के लिए स्थानीय शासन संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गए | इस जमात में राजस्थान भी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से शामिल हो गया | परिणामस्वरूप महिला प्रतिनिधियों की संख्या तो पुरुषों से भी अधिक हो गई | वर्तमान में महिला प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति क्या है, यही इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है | इस शोध अध्ययन के लिए अलवर (राजस्थान) जिले की पंचायतीराज संस्थाओं को चुना गया है |अलवर राजस्थान के उतर पूर्व में हरियाणा एवं बाकि तीन ओर से जयपुर, दौसा व भरतपुर जिलों से घिरा हुआ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित एक ऐसा जिला है, जो औद्योगिक पार्कों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है | अलवर 8380 वर्ग किमी. विस्तार के साथ राजस्थान के 2.44 प्रतिशत क्षेत्र व 5.36 प्रतिशत जनसंख्या को समाये हुये है | अलवर में लिंगानुपात 895 है, जबकि

83.7 पुरूष व 56.3 महिला साक्षरता दर है , फिर भी राजस्थान के सर्वाधिक साक्षर जिलो में पाँचवा स्थान रखता है | अलवर जिला परिषद जयपुर सँभाग में आती है जो न केवल जनसंख्या बल्कि सबसे अधिक साक्षर व अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला संभाग है | अलवर जिला परिषद् के अधीन 14 पंचायत समितियां एवं 512 ग्राम पंचायत कार्यरत हैं | जिसमें से 2 पंचायत समितियों को इस अध्ययन के लिये निदर्शन के रूप में लिया गया है |

इस तरह बहरोड़ एवं नीमराना पंचायत समितिओं के अधीन कार्यरत सभी महिला सरपंचों एवं दोनों पंचायत समितिओं के महिला प्रधान इस अध्ययन के केन्द्र बिंदु रहे हैं | इस अध्ययन में महिला प्रतिनिधियों से पूर्व निर्धारित प्रश्नों से तैयार अनुसूची पर आधारित साक्षात्कार एवं व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से उपयोगी सूचनायें हासिल करने का प्रयास किया गया है ताकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं भूमिका निर्वहन की वास्तविकता के साथ उनके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों के साथ ही अवसरों की भी तलाश की जा सके |

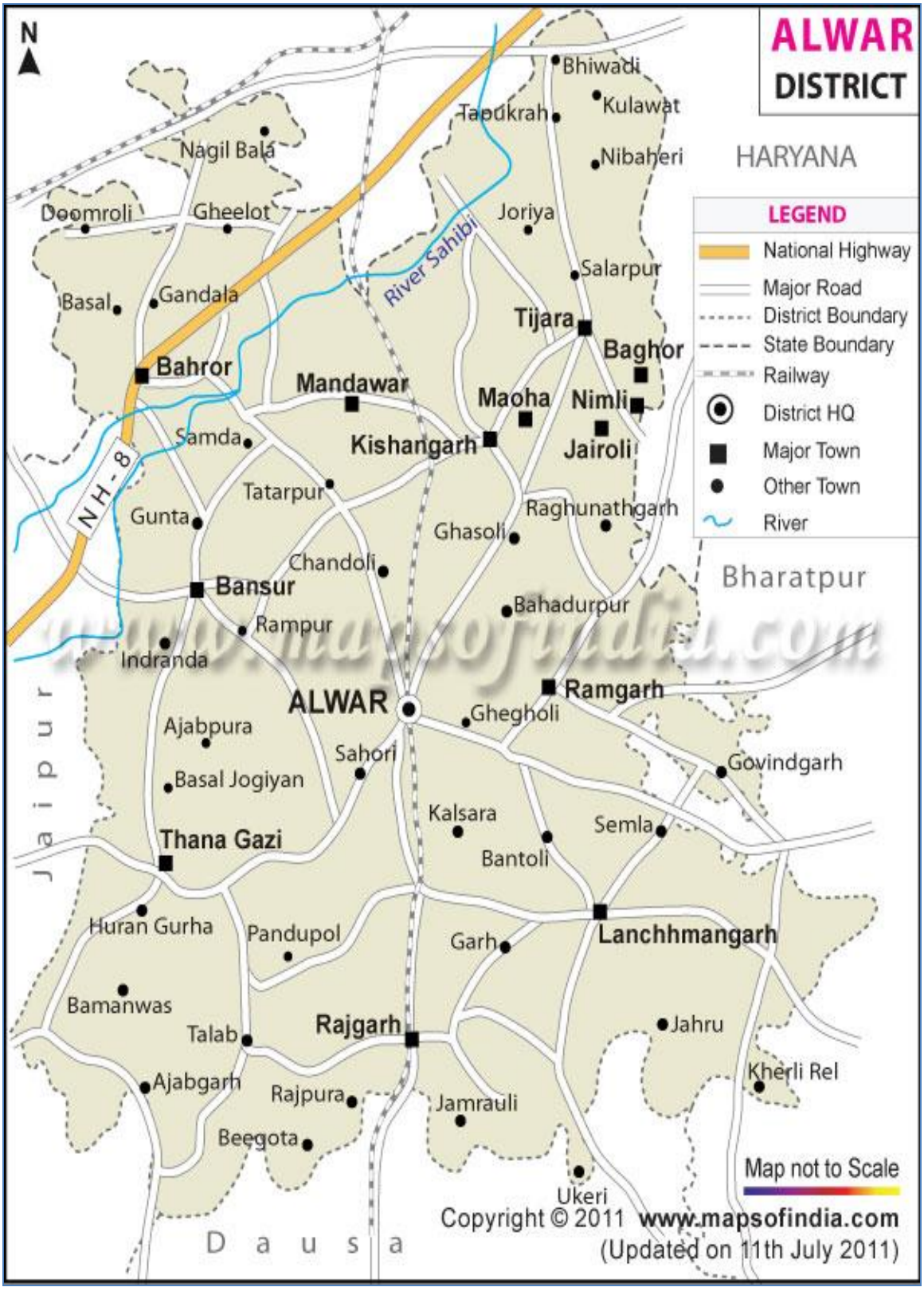

संरचना

अलवर जिला पंचायत

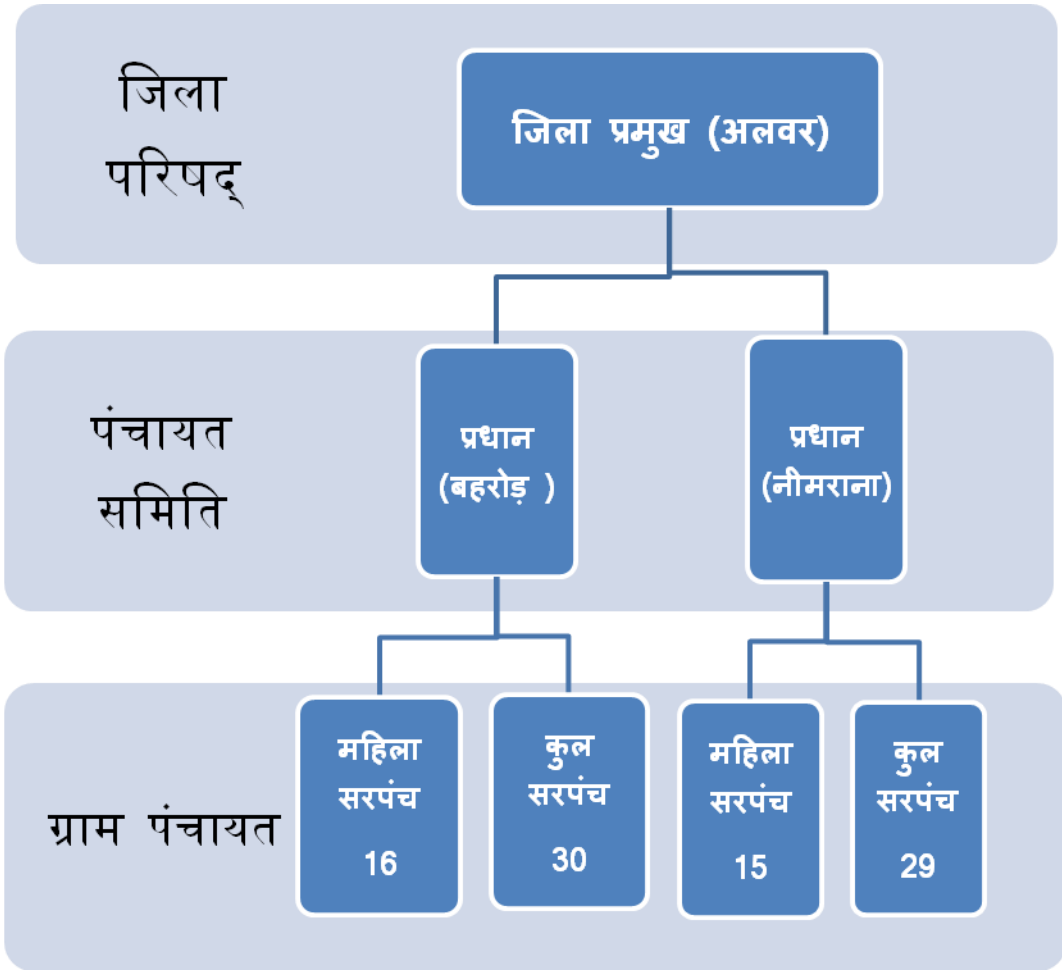
जिला परिषद्
जिला प्रमुख (अलवर)
पंचायत समिति
प्रधान (बहरोड़)
प्रधान (नीमराना)
ग्राम पंचायत
महिला सरपंच 16
कुल सरपंच 30
महिला सरपंच 15
कुल सरपंच 29

पंचायत समिति बहरोड़ (रीना यादव)

1. ग्राम पंचायत - माचल (सुमन देवी)
2. ग्राम पंचायत बूढवाल - आशा देवी
3. ग्राम पंचायत कोहराना - पूजा देवी
4. ग्राम पंचायत जैनपुर बास - खामोश देवी
5. ग्राम पंचायत नंगल खोड़िया - सुमन देवी
6. ग्राम पंचायत खोहर -अंजू देवी
7. ग्राम पंचायत गादोज-ललिता देवी
8. ग्राम पंचायत महाराजवास - रिंका देवी
9. ग्राम पंचायत जटगाँवडा - लक्ष्मी देवी
10. ग्राम पंचायत भगवाडी - सजना देवी
11. ग्राम पंचायत तसिंग -रेखा देवी
12. ग्राम पंचायत गुंती - सुमन देवी
13. ग्राम पंचायत पहाड़ी - सुमन देवी
14. ग्राम पंचायत गुर्जरवास- नरेश कुमारी
15. ग्राम पंचायत रिवाली - राजेश देवी
16. ग्राम पंचायत जागुवास - मुकेश देवी

पंचायत समिति नीमराना (सविता यादव)

1. ग्राम पंचायत गिगलाना -रेखा देवी
2. ग्राम पंचायत दौलतसिंहपुरा -माया यादव
3. ग्राम पंचायत चिलोठ- सीमा देवी .
4. ग्राम पंचायत प्रतापसिंहपुरा-प्रीती यादव
5. ग्राम पंचायत जौनायचाखुर्द-सुशीला देवी
6. ग्राम पंचायत कुतिना-सुनीता रानी
7. ग्राम पंचायत गुगलकोटा-बिमला देवी
8. ग्राम पंचायत बिचपुरी-संतोष बाई
9. ग्राम पंचायत माँढण- ज्योतो देवी
10. ग्राम पंचायत परतापुर-अनीता देवी
11. ग्राम पंचायत कायसा-पूनम देवी
12. ग्राम पंचायत कन्हावास-शकुन्तला
13. ग्राम पंचायत डाबड़वास -सरिता देवी
14. ग्राम पंचायत अकलीपुर-शर्मीला देवी
15. ग्राम पंचायत डूमडोली -मुकेश देवी

तालिका संख्या -1 - आयु समूह के आधार पर महिला प्रतिनिधियों का वर्गीकरण -

आयु वर्षों में	21-25	26-31	31-35	36 - 40	41-45	46-50	50 से अधिक	कुल
संख्या	10	12	5	0	5	1	0	33

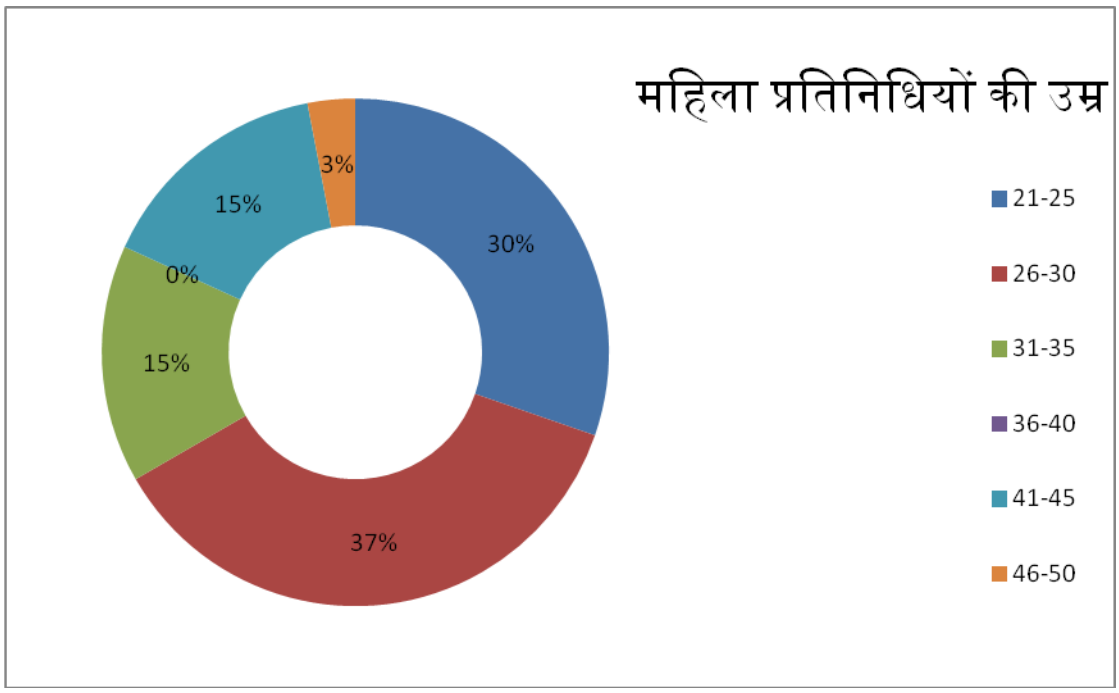

उपरोक्त तालिका से पता चल रहा है कि पंचायतीराज में अधिकतर महिला प्रतिनिधि युवा वर्ग से हैं | 30 वर्ष से कम आयु वर्ग में 67% महिला प्रतिनिधि हैं, वहीं 31-40 की 15 % एवं 41-50 वर्ष की मात्र 18% महिलाये ही जगह बन पाई हैं | आंकड़ो से पता चल रहा है की जहाँ 46-50 आयु समूह में केवल एक ही महिला है तो 50 से अधिक उम्र की एक भी महिला जगह नहीं बना पाई है | वर्तमान में 35

साल से कम आयु की 82% प्रतिनिधि पद प्राप्त करने में सफल रही हैं इससे महसूस हो रह है कि अब हमारी पंचायते भी युवा हो चुकी हैं |

तालिका संख्या – 2

वर्ग समूह के आधार पर महिला प्रतिनिधियों का वर्गीकरण –

वर्ग समूह	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
संख्या	5	22	6	0	33

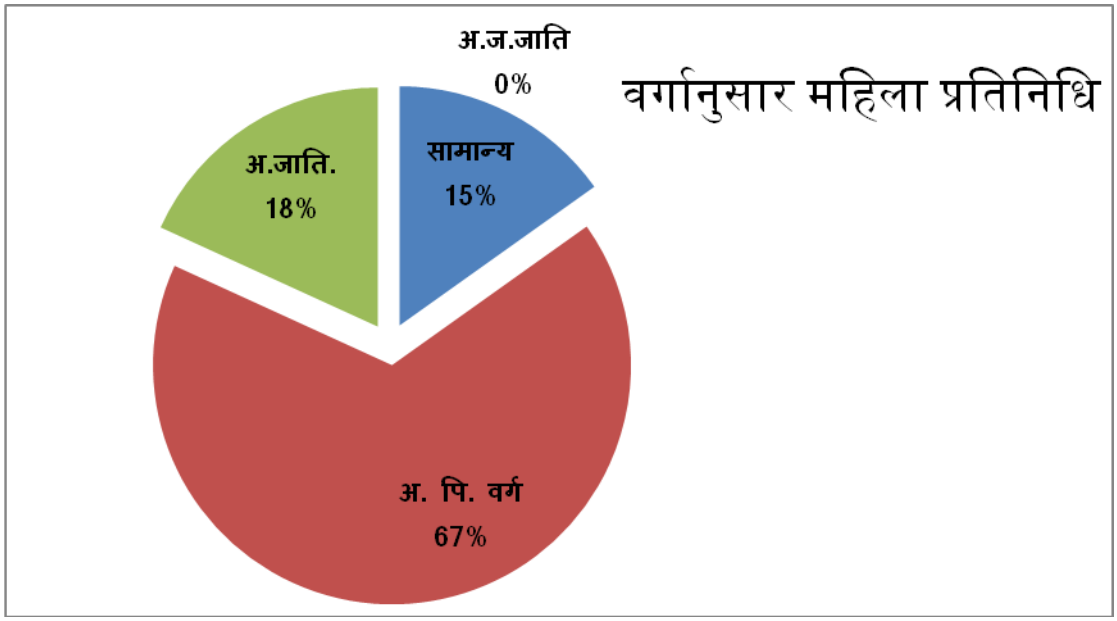

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए तथ्यों से पता चल रहा है कि अलवर पंचायती राज संस्थाओं में 22 महिला प्रतिनिधियों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग ने सबसे अधिक 67% स्थानों पर कब्ज़ा जमाया हुआ है, इसके अलावा अनुसूचित जाति ने 18% पदों के साथ दूसरा स्थान तो सामान्य वर्ग 15% पदों के साथ तीसरा स्थान

प्राप्त किया है | इसमें एक बात और नजर आ रही है कि अनुसूचित जनजाति को कोई भी स्थान नहीं मिल पाया है | अतः यह वर्ग पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी से वंचित महसूस हो रहा है, इन संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग ने दो तिहाई से भी अधिक स्थानों के साथ अपना दबदबा बनाया हुआ है |

तालिका संख्या – 3 - शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रतिनिधियों का वर्गीकरण

शैक्षणिक योग्यता	पाँचवी/आठवीं /दसवीं	बारहवीं	स्नातक	परास्नातक एवं अधिक	कुल
संख्या	18	6	4	5	33

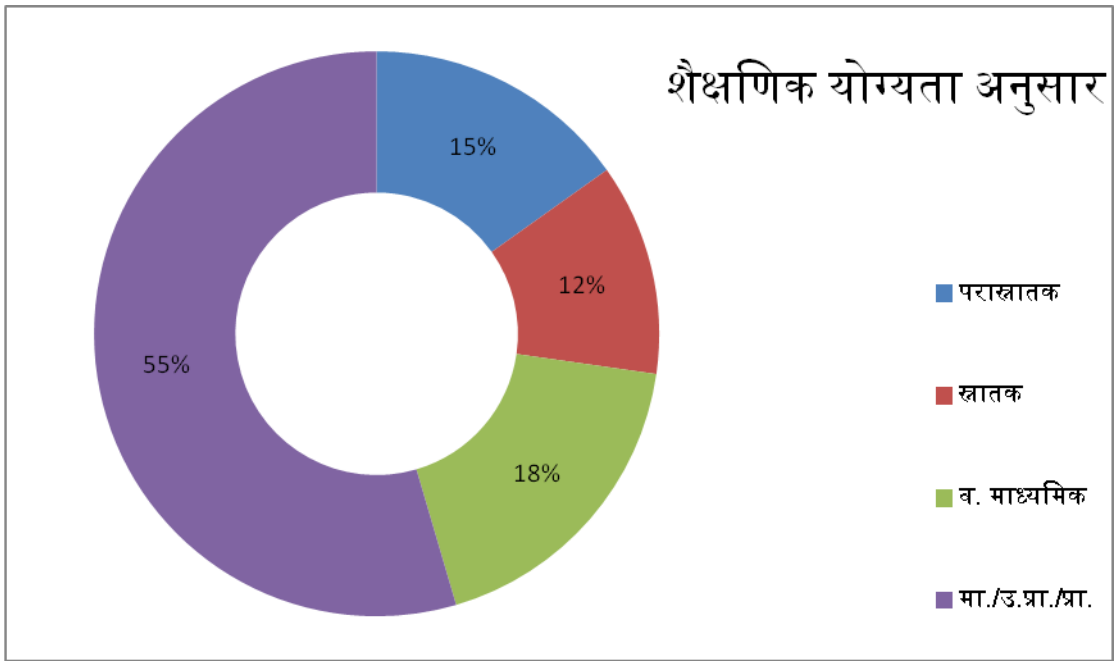

उपरोक्त तालिका में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर महिला प्रतिनिधियों को वर्गीकृत करके दर्शाया गया है | जिससे पता चल रहा है कि 55% महिला प्रतिनिधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी के रूप में प्रथम स्थान पर बने हुये हैं, इसके साथ ही

18% प्रतिनिधि वरिष्ठ माध्मिक स्तर की योग्यता प्राप्त हैं | जब हम परास्नातक एवं अधिक शिक्षित की बात करे तो वे स्नातक स्तर की योग्यताधारियों (12%) से भी आगे 15% के साथ ही तीसरे स्थान पर बने हुये हैं | इस तालिका के माध्यम से यह दिखाई दे रहा है कि 45% प्रतिनिधि ऐसी है जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता स्तर से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं |

तालिका संख्या – 4 –

वैवाहिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधियों का वर्गीकरण

वैवाहिक स्थिति	अविवाहित	विवाहित	विधवा	तलाकशुदा / नाता	कुल
संख्या	1	32	0	0	33

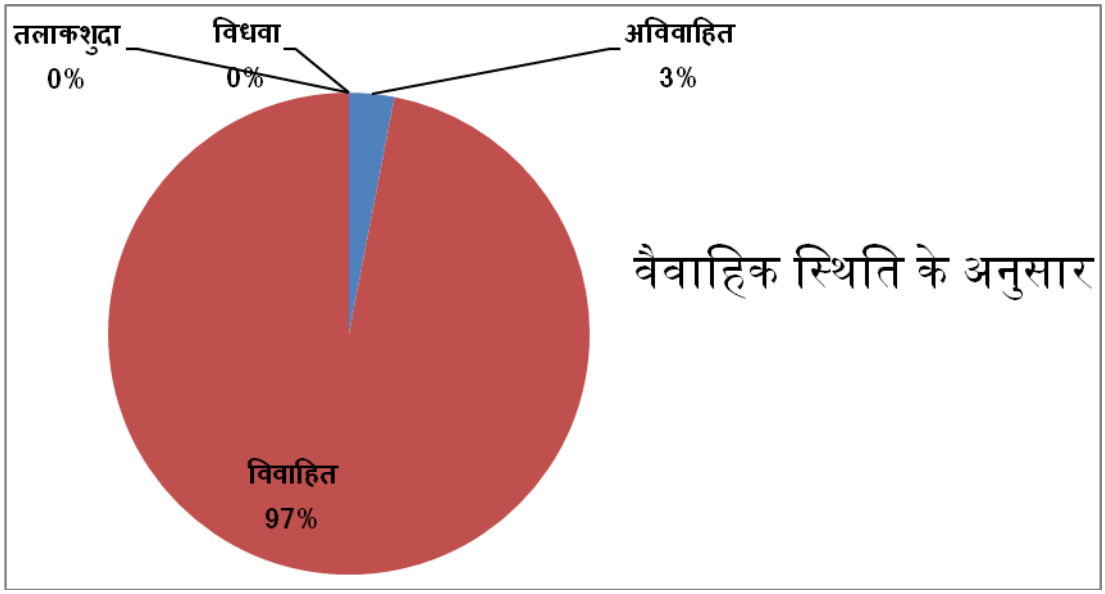

तालिका संख्या 4 में महिला प्रतिनिधियों को वैवाहिक स्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है | इस तालिका के अनुसार यह मालूम होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में अविवाहित के बजाय विवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, जो

कि तालिका में प्रदर्शित तथ्यों से स्पष्ट है कि 97% महिला प्रतिनिधि शादीशुदा है एवं केवल 3% अविवाहित महिलाएं ही वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में स्थान हासिल कर सकी हैं | इसके अलावा अगर विधवा, तलाकशुदा या नाते वाली महिलाओं की बात करें तो उन्हें कोई भी स्थान नहीं मिल सका है या वे राजनीति में भागीदारी से वंचित रही हैं |

तालिका संख्या – 5 परिवार के स्वरूप के आधार पर प्रतिनिधियों का वर्गीकरण

परिवार का स्वरूप	संयुक्त	एकाकी	अर्ध एकाकी	विखंडित	कुल
संख्या	19	14	0	0	33

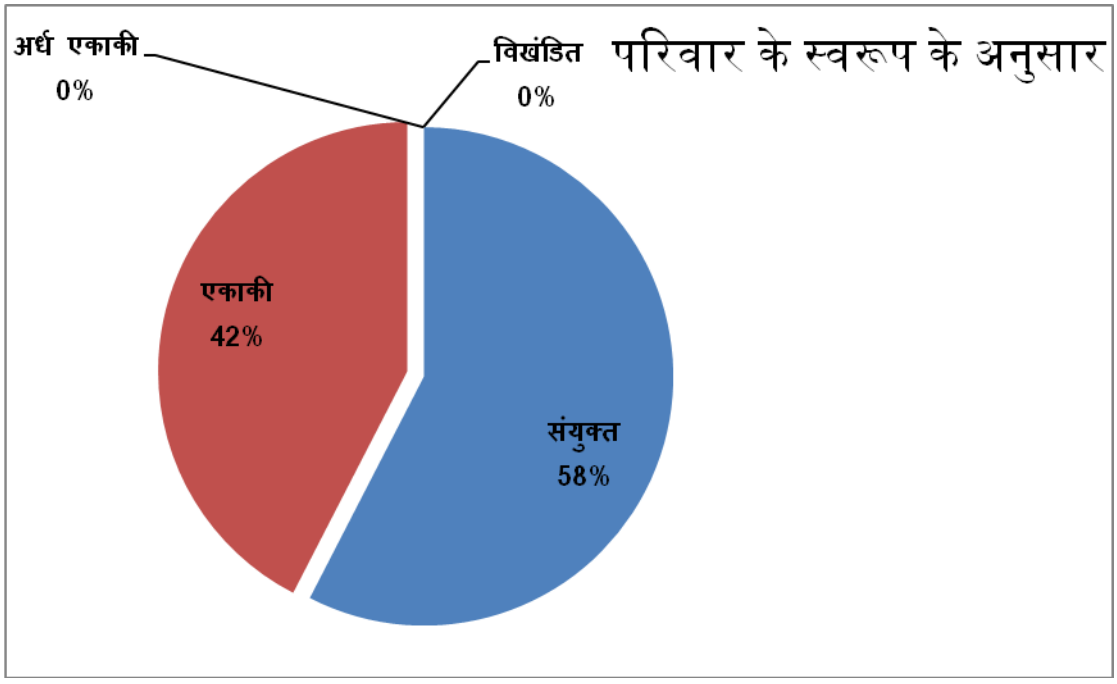

तालिका संख्या 5 जो कि महिला प्रतिनिधियों का उनके पारिवारिक स्वरूप के आधार पर परिचय करवाती है | जिसके अनुसार पंचायती राज में कार्यरत महिला

प्रतिनिधियों में 58% ऐसी हैं जो संयुक्त परिवारों से आती हैं साथ ही 42% प्रतिनिधि एकाकी परिवारों से चुनकर आयी हैं | इस तरह अर्ध एकाकी एवं विखंडित परिवारों से तालुक रखने वाली महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिल सका है | यानि कि स्थानीय निकायों के चुनावों में संयुक्त प्रवृति वाले परिवार अपने आपसी सामंजस्य एवं संगठित शक्ति के बल पर बढ़त बनाये हुये हैं | उनकी इस समायोजन एवं संगठन की क्षमता को जनता ने भी प्राथमिकता दी है |

तालिका संख्या – 6

परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण

सदस्यों की संख्या	1-5	6-10	11-15	15-20	कुल
संख्या	9	19	3	2	33

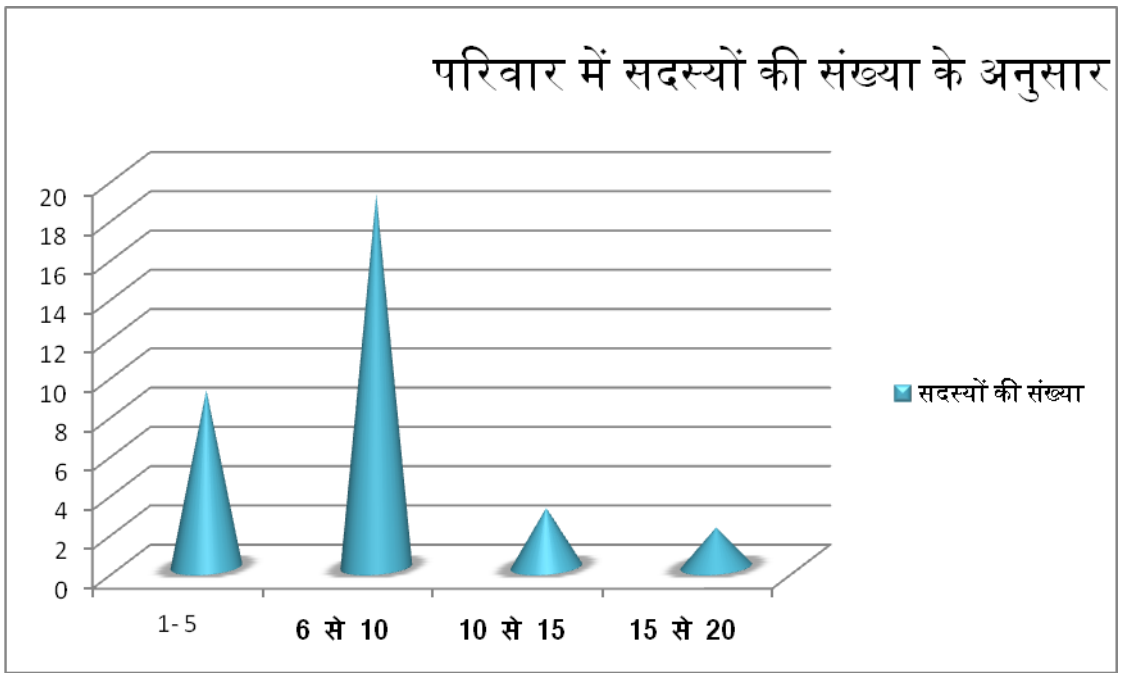

तालिका संख्या 6 में महिला प्रतिनिधियों को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हुये दर्शाया है इससे पता चलता है, कि जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है उनको अधिक स्थान मिल पाते हैं | जैसा कि ऊपर दिए गए तथ्यों से जाहिर हो रहा है, सबसे अधिक पदों की संख्या उन परिवारों के प्रतिनिधियों को मिली हुई है जो अपेक्षाकृत अधिक सदस्य संख्या वाले हैं | इस तरह से कुल सदस्यों के 73% पद उन प्रतिनिधियों को मिले हुये हैं जो संयुक्त या वृहद् रूप वाले परिवारों से हैं या फिर यों कहे 5 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवारों को अपेक्षाकृत ज्यादा स्थान मिल सके हैं |

तालिका संख्या – 7 - पिता/पति के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

पिता / पति का व्यवसाय	सरकारी कर्मचारी	गैर-सरकारी कर्मचारी	निजी व्यवसाय	कृषि	कुल
संख्या	8	5	7	13	33

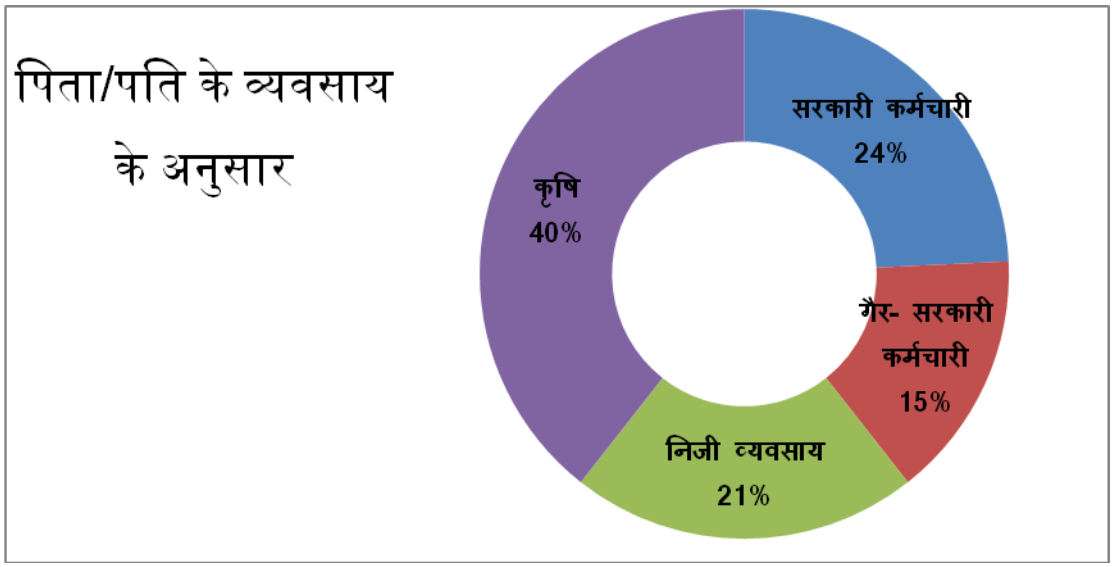

तालिका संख्या 7 पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों के पिता या पति के व्यवसाय को प्रदर्शित करती है जिसके अनुसार सबसे अधिक 40% प्रतिनिधि कृषक परिवार से निर्वाचित हुई हैं जबकि सबसे कम 15% प्रतिनिधि गैर सरकारी कर्मचारियों वाले परिवारों से आई हैं | इस तरह पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के लिहाज से कृषक परिवारों का प्रभुत्व बना हुआ है, जो अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोगों से लगभग दो गुने स्तर पर है | अर्थात आम जनता ने भी उन्ही प्रतिनिधियों पर ज्यादा भरोसा किया है जो समाज से अधिक नजदीकी से जुड़े हुये होते हैं | जबकि कर्मचारी व दूसरे पेशों से जुड़े लोग इस मामले में काफी पीछे रह गये हैं | इससे स्थानीय शासन में स्थानीय लोगों की प्राथमिकता देखी जा सकती है |

तालिका संख्या- 8 - परिवार की वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण

परिवार की वार्षिक आय	एक लाख से कम	एक से तीन लाख	तीन से पांच लाख	पांच से दस लाख	दस लाख से अधिक	कुल
संख्या	8	14	9	1	1	33

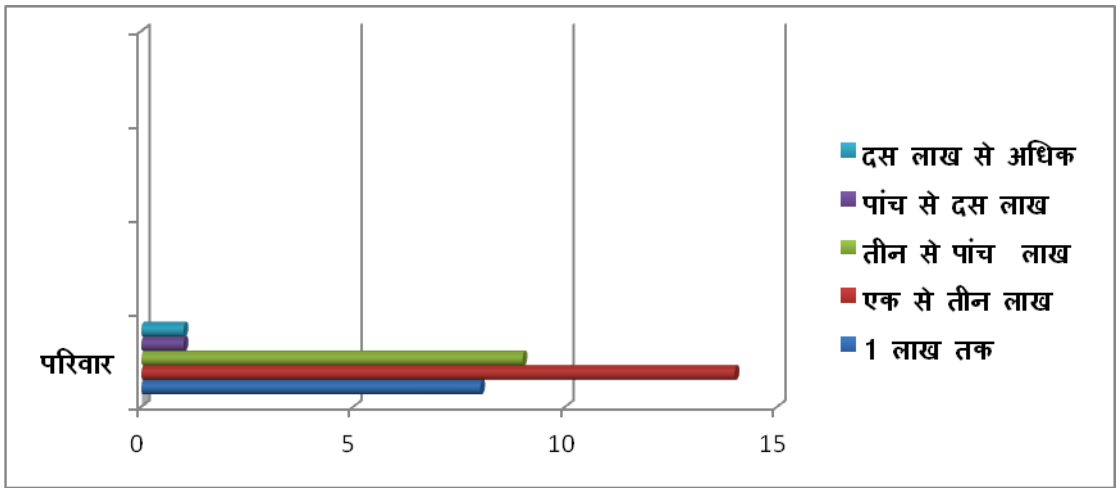

तालिका संख्या 8 जिसमे महिला प्रतिनिधियों को उनके परिवार की वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है | इस वर्गीकरण से देख सकते हैं कि पांच लाख से अधिक आय वाले परिवारों से निर्वाचित होकर आई महिला प्रतिनिधियों की संख्या केवल 2 यानि कि लगभग 6% है जबकि एक से पांच लाख तक की आय वाले परिवारों से चुनकर आयी प्रतिनिधियों की संख्या 70% है साथ ही 24% प्रतिनिधि निम्न आय वर्ग वाले परिवारों से आती हैं | इससे हमें पता चलता है कि स्थानीय शासन संस्थाओं में उच्च आय वर्गों की बजाय मध्यम आय वर्ग के प्रतिनिधियों का बाहुल्य बना हुआ है साथ ही कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण की बदोलत निम्न आय वर्ग की भागीदारी भी बढ़ी हुई नजर आ रही है, जो वर्तमान में 8 स्थानों के साथ 24% तक पहुँच चुकी है |

तालिका संख्या– 9

अनारक्षित सीट से विजयी प्रतिनिधियों के आधार पर वर्गीकरण

अनारक्षित सीट से विजयी प्रतिनिधि	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग	अनु. ज. जाति वर्ग	कुल
संख्या	5	11	0	0	16

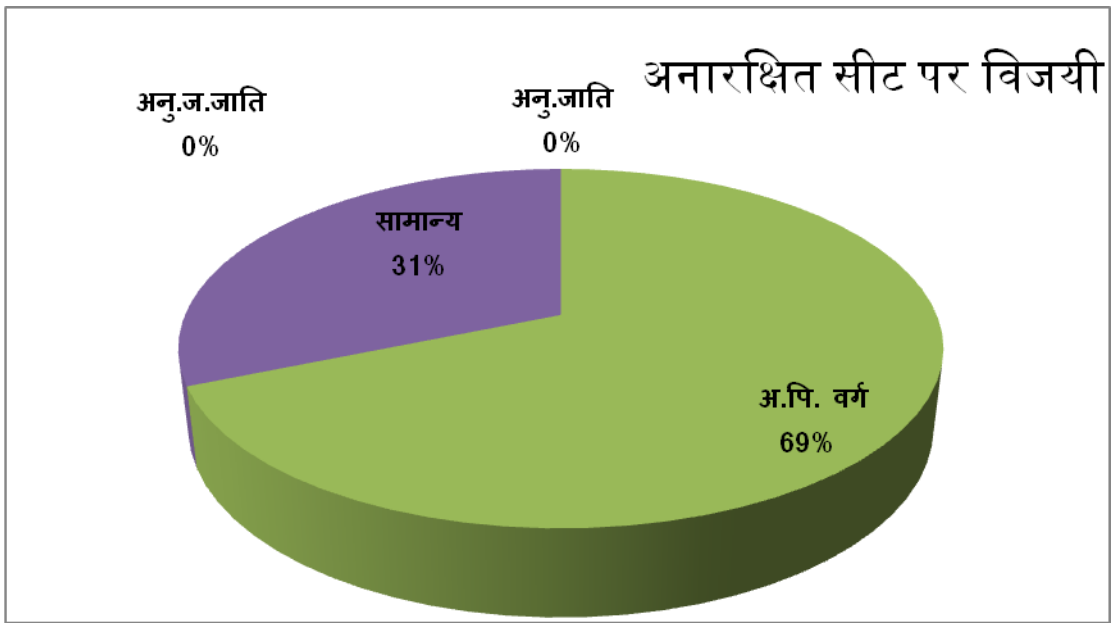

तालिका संख्या 9 में अनारक्षित क्षेत्र में विजयी रही महिलाओं का वर्गानुसार प्रदर्शन किया गया है जिससे पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलायें 69% अनारक्षित पदों पर कब्ज़ा जमाये हुये हैं | जबकि इनमे सामान्य वर्ग की महिलाओं को केवल 31% पदों से ही संतोष करना पड़ा है | बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तो उन्हें कोई स्थान नहीं मिल पाया है | इससे पता चलता है कि स्थानीय शासन संस्थाओं में पिछड़े वर्गों ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है और अब वे सामान्य वर्ग को कड़ी टक्कर दे रहे हैं | लेकिन यहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति में अभी भी संतोषजनक सुधार नहीं हो पाए हैं |

तालिका संख्या– 10 प्रतिनिधित्व क्षेत्र से सम्बन्ध के आधार पर वर्गीकरण

प्रतिनिधित्व क्षेत्र से सम्बन्ध	मायका	ससुराल	दूसरी जगह से आकार बसे हुये	कुल
संख्या	1	32	0	33

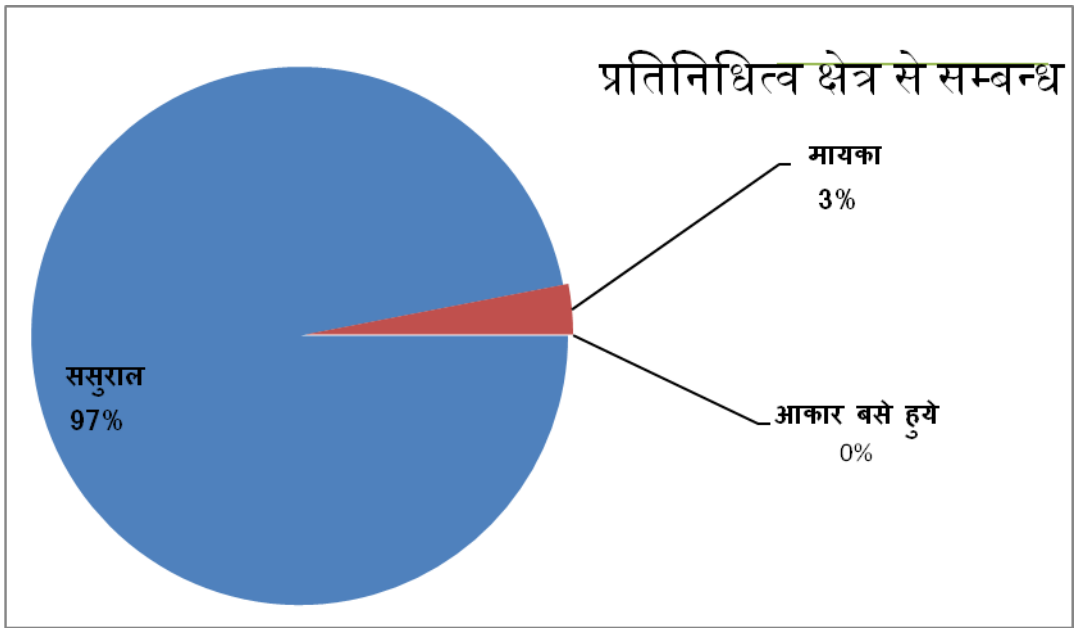

तालिका संख्या 10 में महिला प्रतिनिधियों के उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध को दर्शाया गया है | इस तालिका में प्रदर्शित समंको में देखा जा सकता है कि केवल 3% महिलायें ही हैं जो कि अपने पैतृक गाँव या मायके में पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निर्वहन कर रही है एवं शेष 97% महिलायें जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं वह निर्वाचन क्षेत्र उन महिला प्रतिनिधियों का ससुराल है | इससे यह पता चलता है कि अविवाहित महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के अवसर बहुत सीमित मात्रा में मिलते हैं | जबकि विवाहित महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है |

तालिका संख्या – 11

राजनीति में प्रवेश के आधार पर वर्गीकरण

राजनीति में प्रवेश	पहली बार	दूसरी बार	तीसरी बार	कुल
संख्या	29	3	1	33

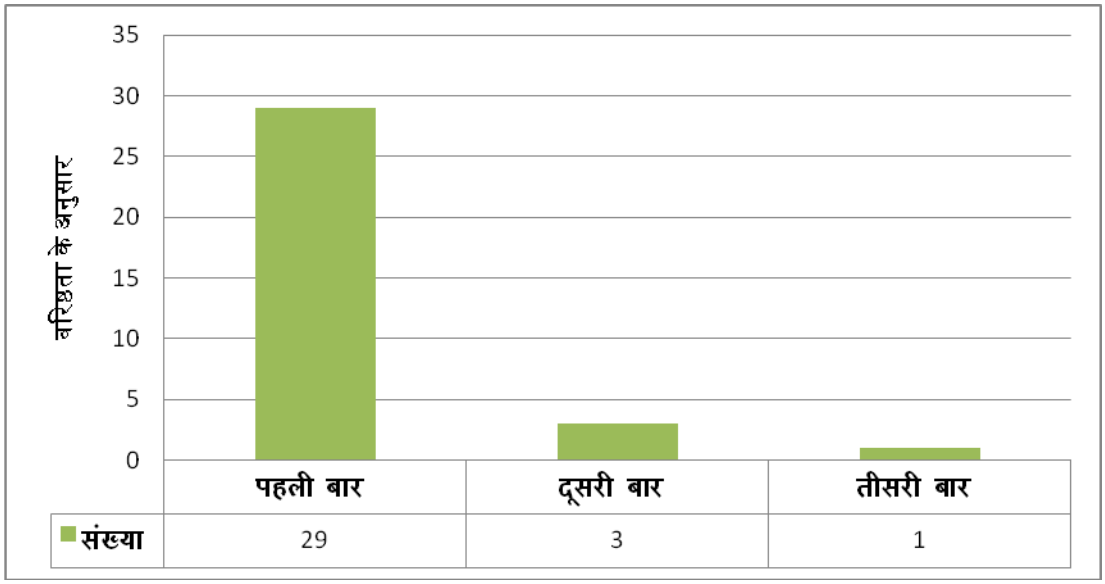

तालिका संख्या 11 में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश को आधार बनाकर उनका वर्गीकरण किया गया है | जिससे पता चलता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में लगभग 88% महिला प्रतिनिधि पहली बार निर्वाचित होकर आई हैं यानि इस क्षेत्र में वे विशेष अनुभव नहीं रखती हैं इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कुछ महिला प्रतिनिधि ऐसी भी हैं जो दूसरी या तीसरी बार जीतकर आई हैं | अर्थात उनकी क़ाबलियत एवं क्षमताओं को जनता ने स्वीकारोक्ति देते हुये या प्रमाणित कर दिया है कि महिलाओं को किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं कहा जा सकता हैं और इस तरह उनको एक बार पुनः अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर दे दिया गया है |

तालिका संख्या– 12

परिवार की राजनीति से संलग्नता के आधार पर प्रतिनिधिओं का वर्गीकरण

परिवारिक राजनीतिक संलग्नता	पहली बार	पांच वर्ष से अधिक	दस वर्ष से अधिक	पंद्रह वर्ष से अधिक	कुल

संख्या	10	10	6	3	29

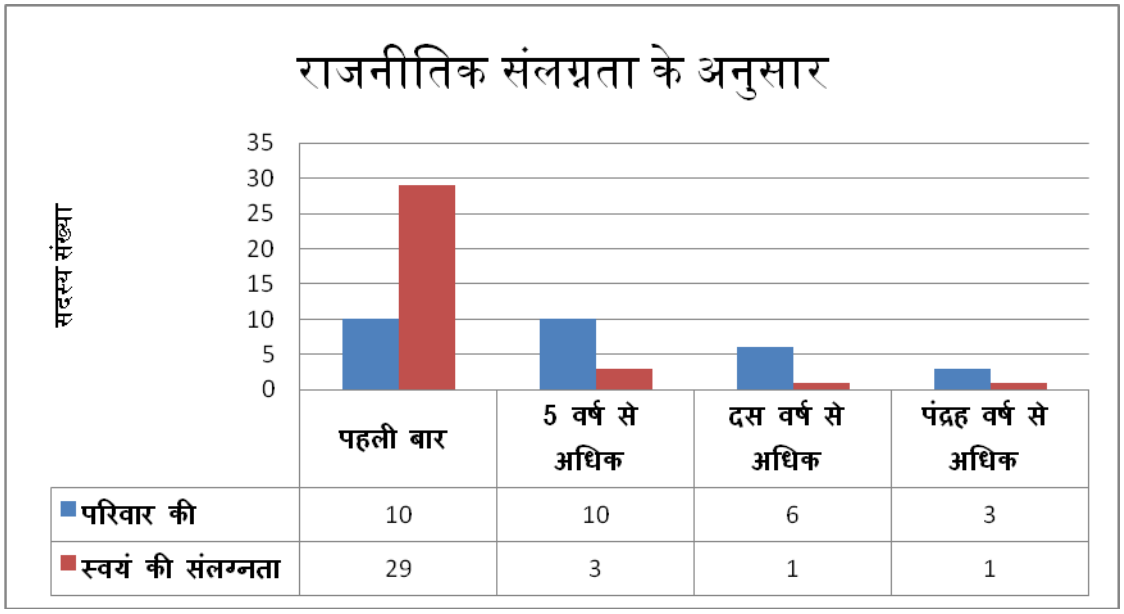

तालिका संख्या 12 में दर्शाये गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंचायतीराज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से 29 पहली बार निर्वाचित हुई है लेकिन उनमे से 19 ऐसे परिवारों से हैं जो पहले से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं | इसी तरह 3 महिलायें जो दुबारा चुनी गई हैं एवं 1 महिला प्रतिनिधि तीसरी बार चुनी गई है इनको राजनीति विरासत के रूप में मिली है क्योंकि इनके परिवार 5 या 10 साल से अधिक समय से राजनीति के मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं | इस कड़ी में अवसर का लाभ उनको भी मिला जिसके परिणामस्वरूप वे पुनः जीत हासिल कर सकी है |

तालिका संख्या – 13 राजनीति में प्रवेश के आधार पर वर्गीकरण

राजनीति में प्रवेश	स्वयं की पहल पर	परिवार के सदस्यों की पहल पर	गाँव समाज के कहने पर	कुल

संख्या	2	27	4	33

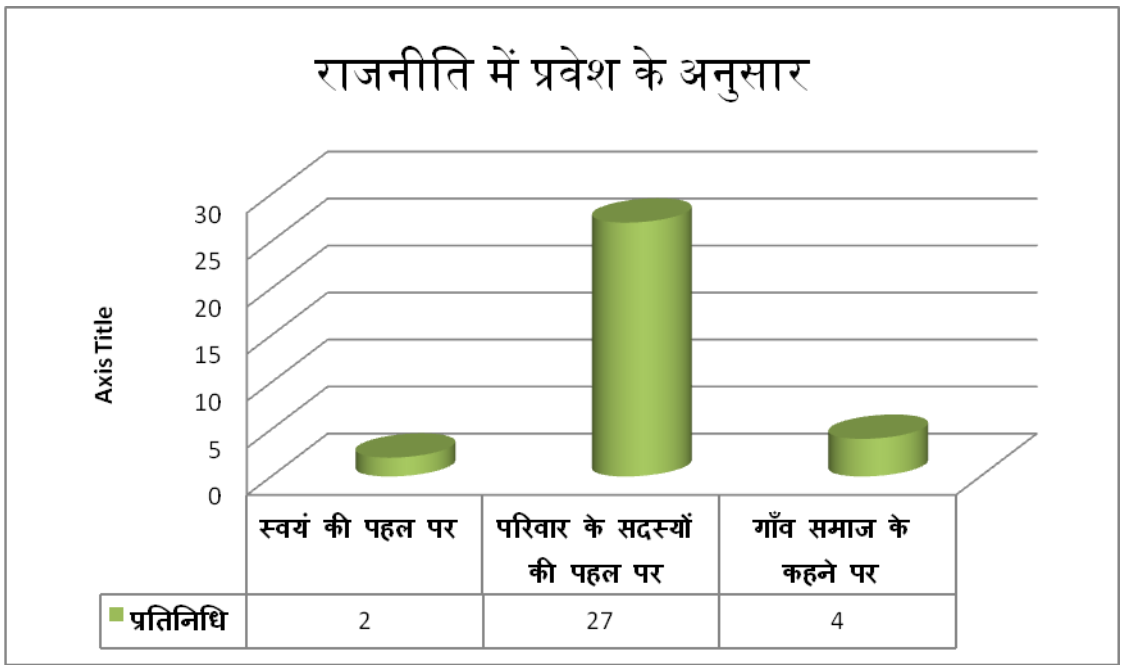

तालिका संख्या 13 में पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को उनके चुनाव में शामिल होने की प्रेरणा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है | जिससे मालूम होता है कि 12% महिलाओं ने जनता के निवेदन एवं मांग किये जाने पर चुनाव में हिस्सा लिया जबकि 82% महिलाओं ने अपने परिवार के कहने से चुनाव में भाग लिया था और मात्र 6% महिलाओं ने ही अपनी इच्छा व मंशा के आधार पर राजनीति मे पदार्पण किया | इन तथ्यों से मालूम होता है कि अक्सर राजनीति में भाग लेने के लिये महिलाये स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेती, इस मामले में उनको परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है |

तालिका संख्या – 14 किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव के आधार पर वर्गीकरण

राजनीतिक	भाजपा	कांग्रेस	राकपा	असम्बद्ध	कुल

दल से जुड़ाव					
संख्या	13	0	1	19	33

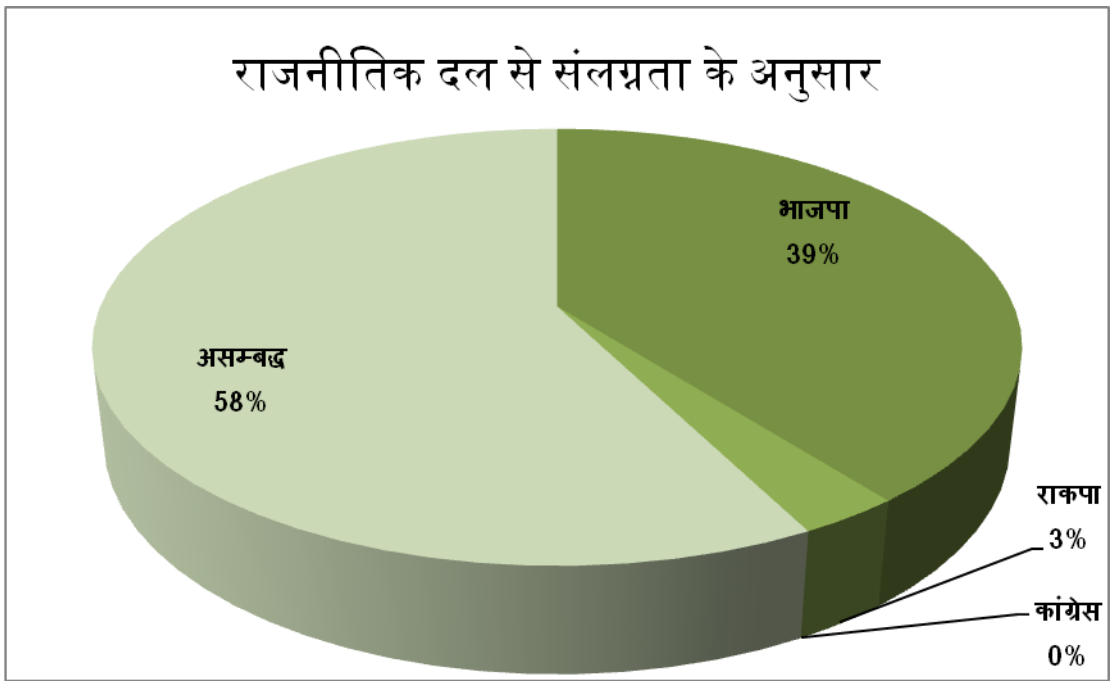

तालिका संख्या 14 में पंचायती राज संस्थाओं में चुनी हुई महिलाओं को किसी राजनीतिक दल से सम्बद्धता के आधार पर दर्शाया गया है | जिससे पता चल रहा है कि 39% महिला प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुडी हुई हैं 3% प्रतिनिधि राष्ट्रवादी कोंग्रेस पार्टी के साथ सम्बद्ध हैं | जबकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी महिला प्रतिनिधि काँग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ी रहना चाहती भले ही वह भारतीय जनता पार्टी से भी दूरी बनाये हुये हो इस तरह किसी भी पार्टी से असम्बद्ध रहना ही ज्यादा बेहतर समझती है | अतः 58% महिला प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुडकर असम्बद्ध बनी हुई हैं |

तालिका संख्या – 15 पंचायत कार्यालय में जाने के आधार पर वर्गीकरण

पंचायत कार्यालय में	प्रतिदिन	सप्ताह में	महीने में	केवल मीटिंग	कुल

जाना		एक दिन	एक दिन	के समय	
संख्या	5	2	0	27	33

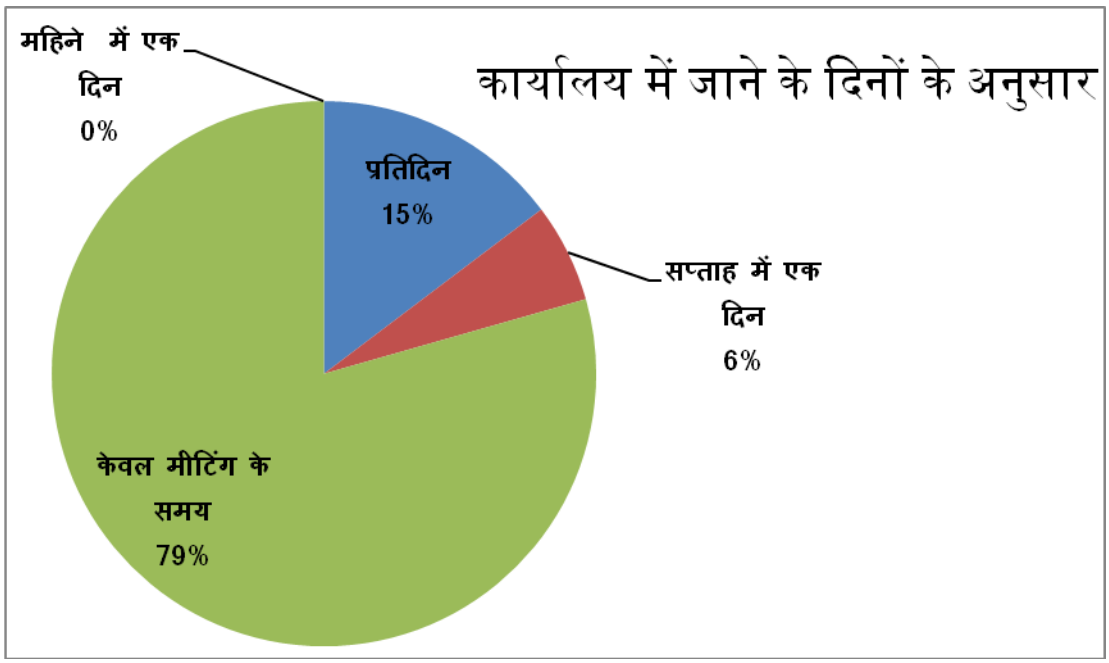

तालिका संख्या 15 - इसमें महिला प्रतिनिधि पंचायत मुख्यालय में कब-कब जाती हैं इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है | इससे मालुम पड़ता है कि 79% महिला प्रतिनिधि केवल मीटिंग या इसी तरह के अतिआवश्यक आयोजनों के अवसरों पर ही अपने कार्यालय में जाती हैं | इसके साथ ही मात्र 6% प्रतिनिधियों ने यह बताया कि वे सप्ताह में एक दिन अपने कार्यालय में जरूर जाती हैं | जबकि 15% महिला प्रतिनिधियों ने बताया की चाहे वे कम समय के लिये ही जाये लेकिन कार्यालय हर दिन जाती हैं एवं कार्यभार अधिक होने की परिस्थिति में देर शाम तक रुककर भी कार्य करती हैं |

तालिका संख्या – 16 कार्यालय में पहुँचने के आधार पर प्रतिनिधियों का वर्गीकरण

पंचायत कार्यालय	स्वयं	परिवार के	पंचायत के किसी	सरकारी	कुल

में पहुँचना		सदस्य के साथ	सदस्य के साथ	वाहन से	
संख्या	14	17	0	2	33

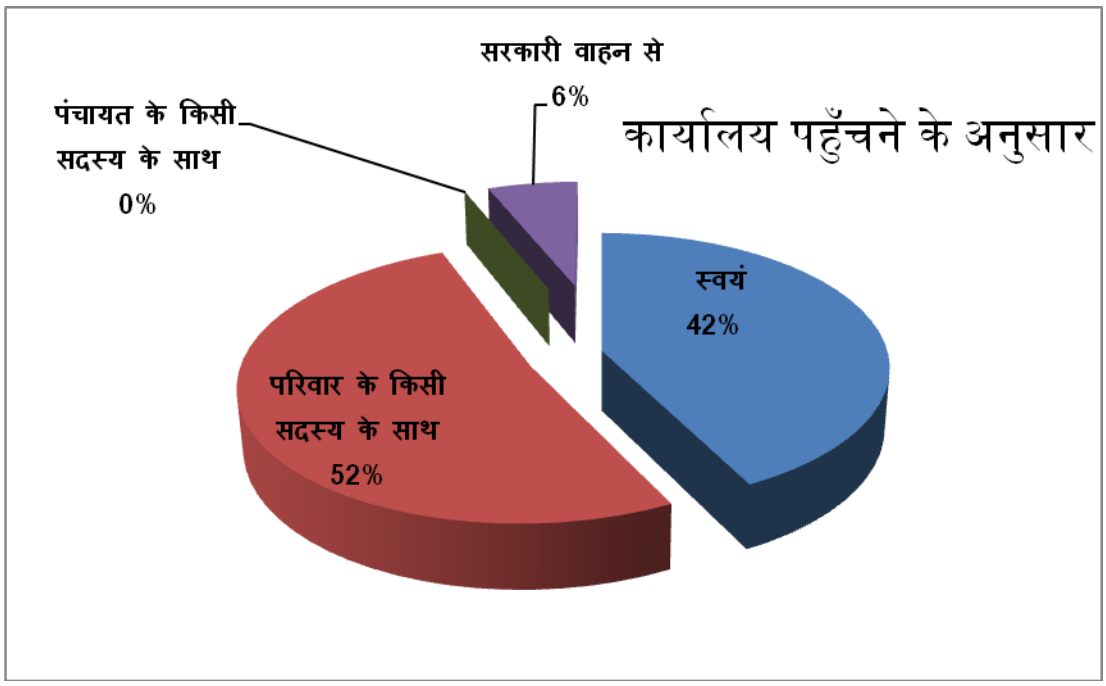

तालिका संख्या 16 जिसमे महिला प्रतिनिधि अपने कार्यालय में कैसे पहुँचती हैं इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है | इससे हमें पता चलता है कि 42% महिला प्रतिनिधि स्वयं ही अपने कार्यालय में चली जाती हैं, क्योंकि इन प्रतिनिधियों का कार्यालय घर से अधिक दूरी पर नही है | इसके अलावा 6% महिला प्रतिनिधियों को सरकारी वाहन की सुविधा उपलब्ध होती है | जबकि 52% प्रतिनिधियों को कार्यालय दूर होने के कारण अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य की सहायत लेनी पड़ती है अतः परिवार के किसी सदस्य को अपना काम छोड़कर उनकी सहायता के लिये उपलब्ध रहना पड़ता है |

तालिका संख्या – 17 बैठकों में पुरुषों द्वारा महिला सदस्यों के विचारों की अनदेखी

पुरुषों द्वारा महिलाओं के	कभी नहीं	कभी-कभी	हमेशा होती	कुल

विचारों की अनदेखी	होती है	होती है	है	
संख्या	26	5	2	33

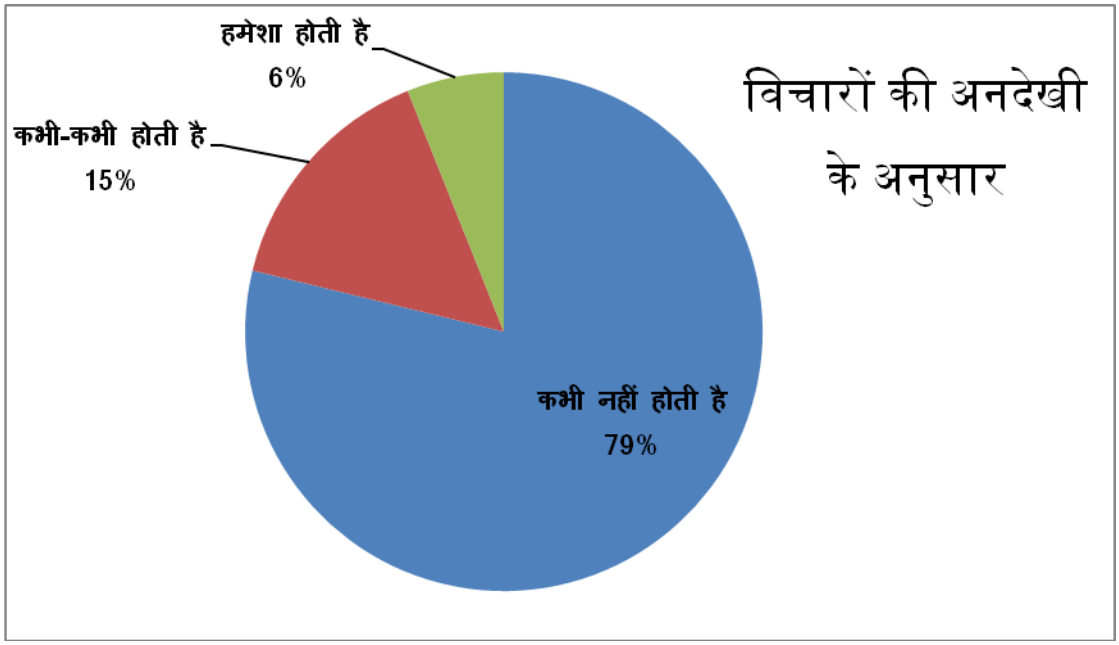

तालिका 17 में पंचायती राज संस्थाओं में होने वाली सभाओं के दौरान महिला प्रतिनिधियों के विचारों की पुरुष प्रतिनिधियों की तरफ से अनदेखी या अवहेलना को दर्शाया गया है | जिससे से पता चलता है कि 79% महिला प्रतिनिधियों ने माना कि उनके विचारो को त्वज्यो न दी जाये, ऐसा अवसर कभी नहीं देखने को मिला है | जबकि 15% प्रतिनिधियों ने माना कि हाँ कभी-कभी उनके विचारों को भुला दिया जाता है | साथ ही 6% प्रतिनिधियों ने कहा कि बैठकों के दौरान अकसर पुरुषों का प्रभुत्व छाया रहता है और महिलाओं के विचारो की अवहेलना बड़ी सामान्य बात है , इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिये |

तालिका संख्या – 18 पंचायत की बैठकों में महिला सदस्यों का शामिल होना

बैठकों में महिला सदस्य	हमेशा स्वयं	कभी-कभी दूसरे	अधिकतर दूसरे	कुल
संख्या	22	8	3	33

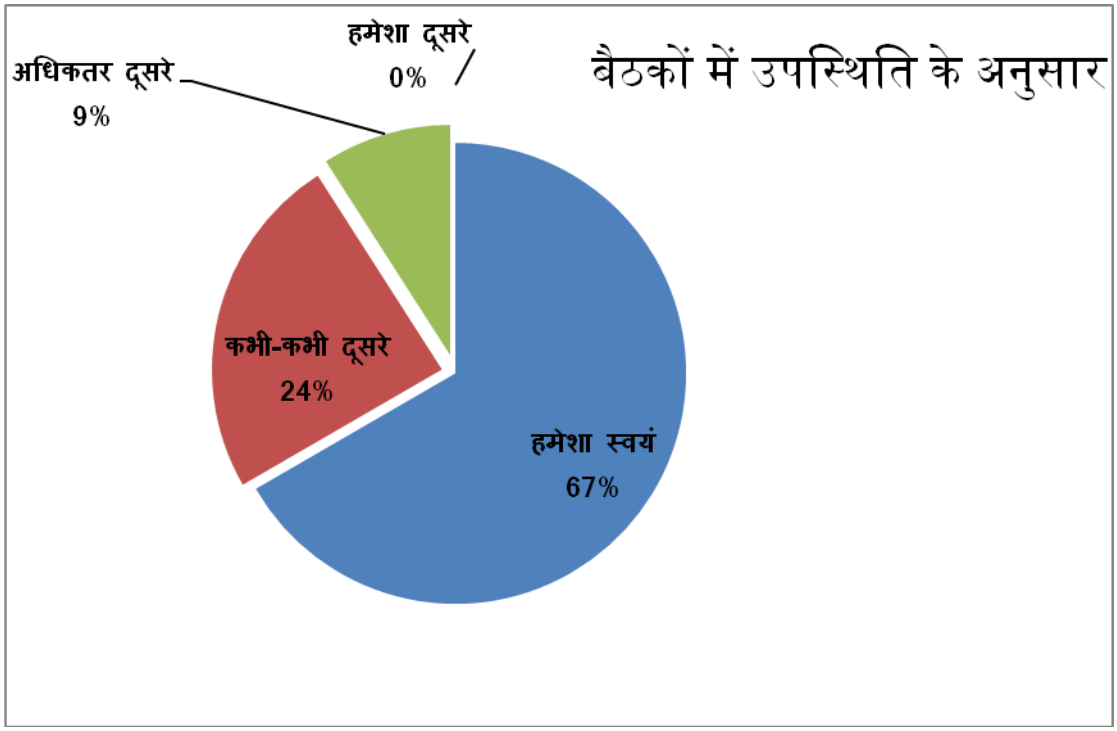

तालिका संख्या 18 में पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के शामिल होने की प्रवृति को दर्शाया गया है | इसके अनुसार 67% महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायतों की बैठकों में हमेशा महिला सदस्य स्वयं ही शामिल होती है न कि दूसरा कोई व्यक्ति | जबकि 24% प्रतिनिधियों ने कहा कि कभी-कभी महिला सदस्यों की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल होता रहा है | इसके अलावा 9% महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि महिलाओं को कहाँ फुरसत होती है और न ही हम ज्यादा कुछ जानती हैं | इसलिए जब सारे काम ही पुरुष करते हैं तो बैठकों में शामिल होने में क्या बुराई है हम केवल नाम की मुखिया हैं |

तालिका संख्या– 19 कार्यक्रम में शामिल होने व संबोधन करने के आधार पर -

कार्यक्रमों में शामिल व सभा का संबोधन	शामिल हुई पर संबोधन नहीं	शामिल हुई व संबोधन भी किया	न शामिल हुई न ही संबोधन किया
संख्या	18	12	3

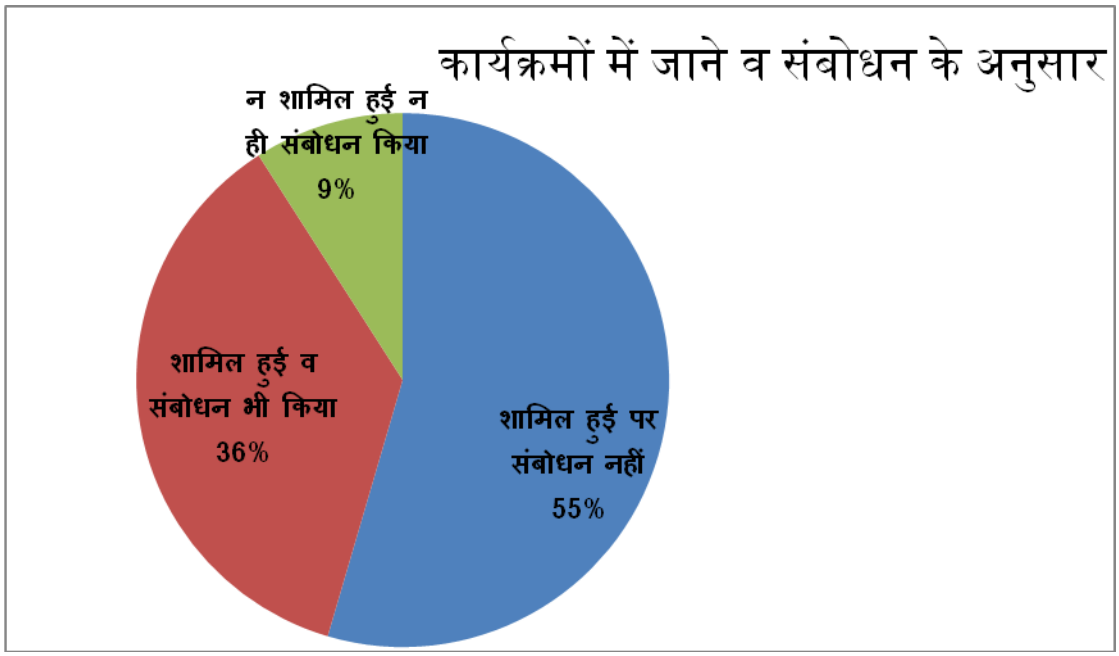

तालिका संख्या 19 में महिला प्रतिनिधियों के सामाजिक एवं सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने व संबोधन करने की अभिवृति को दर्शाया गया है | जिससे पता चलता है कि 55% निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को जब भी किसी सरकारी, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया तो वे शामिल जरूर होती हैं पर सम्बोद्धन नहीं करती हैं | जबकि 36% महिला प्रतिनिधि ऐसी हैं जो न केवल इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हुई बल्कि अवसर मिलने पर संबोधन भी किया है | और 9%महिला प्रतिनिधियों को इन सब कार्यक्रमों से कोई लेना-देना नहीं है घर के पुरुष सदस्य जाने इन सब के बारे में जो भी करना है |

तालिका संख्या – 20 खुद को पढ़ा-लिखा समझने के आधार पर वर्गीकरण

खुद को पढ़ा लिखा समझने वाले	नहीं	हाँ	पता नहीं	कुल
संख्या	15	14	4	33

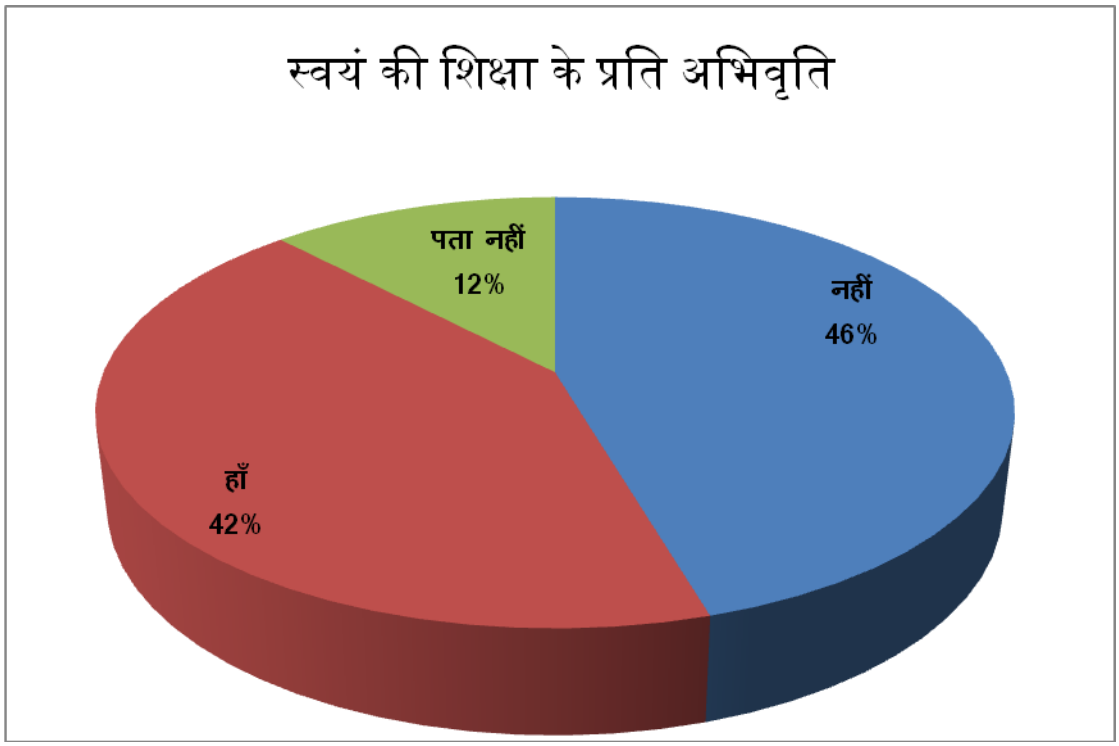

तालिका संख्या 20 पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की स्वयं के पढ़े लिखे होने के प्रति धारणा को दर्शाती है | जिसके अनुसार 42% महिला प्रतिनिधियों ने माना कि हाँ हम पढ़े हुये हैं, और 12% ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम पढ़े हुये हैं या अनपढ़ जबकि 46% महिला प्रतिनिधियों ने कहा की कहां पढ़े लिखे हम तो अनपढ़ समान हैं | हम जितना पढ़े हुये हैं इससे आज कुछ फायदा नहीं है | आज के ज़माने में सब कुछ बदल गया है इसलिए अच्छी पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है, अतः हम तो अब निरक्षर समान रह गए हैं |

तालिका संख्या – 21 पढ़े-लिखे होने का फायदा मिलने के आधार पर वर्गीकरण

पद की जिम्मेदारी निभाने में पढ़े-लिखे होने का फायदा	नहीं	हाँ	पता नहीं	कुल
संख्या	3	26	4	33

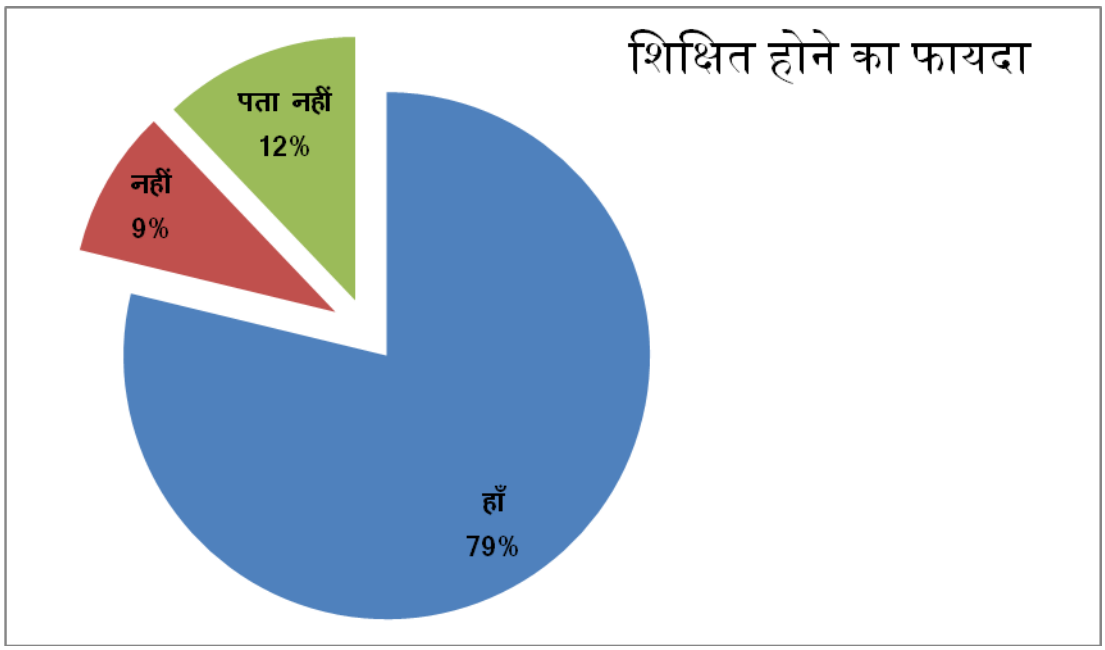

तालिका संख्या 21 में दर्शाया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका निर्वहन में पढ़ाई का फायदा मिलने के पक्ष में 79% प्रतिनिधियों ने स्वीकृति दी है जबकि 9% महिला प्रतिनिधियों ने कहा है कि हमें अपनी भूमिका निभाने में पढ़ाई का कोई फायदा एवं महत्व नहीं नजर आता है, साथ ही 12% प्रतिनिधियों ने इसे सरकार की नीति व जिम्मेदारी बताते हुये इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया करने से मना कर दिया | इस तरह समग्र रूप से 79% लोगों को तो इस कदम से फायदा नजर आ रहा है | अतः शैक्षणिक योग्यता की शर्त को तार्किक रूप में उचित कदम माना जा सकता है |

तालिका संख्या – 22 अधिक पढ़ाई की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण

अधिक पढ़ाई की आवश्यकता महसूस करते हैं	नहीं	हाँ	पता नहीं	कुल
संख्या	8	19	6	33

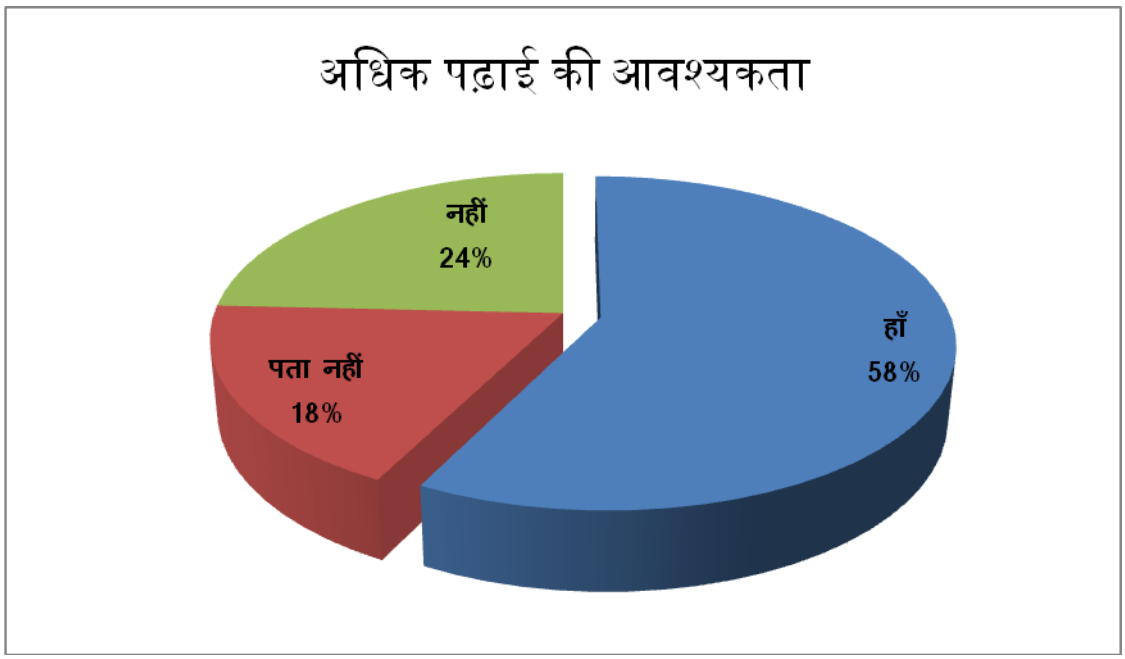

तालिका 22 में पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों के अपने पद की भूमिका निर्वहन हेतु आवश्यक शैक्षिक स्तर सम्बन्धी कुछ सुझावों को दर्शाया गया है | जो कार्य करते समय उन प्रतिनिधियों ने जरूरी समझे हैं | इसमें 58% महिला प्रतिनिधियों ने माना कि कार्यों की कठिनाई स्तर के अनुसार प्रतिनिधियों को और अधिक शिक्षित होना चाहिये | जबकि 18% प्रतिनिधियों ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुये मना कर दिया एवं 24% महिला प्रतिनिधियों ने इन संस्थाओं में कार्य करने हेतु और अधिक शिक्षित होने की बात को एकदम नकारते हुये व्यावहारिक समझ व अनुभव को महत्त्वपूर्ण कारक बताया है |

तालिका संख्या – 23

पंचायती राज व्यवस्था की संरचना व कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी

क्र.सं.	पंचायती राज व्यवस्था की संरचना व कार्यक्रमों की जानकारी का स्तर	गलत उत्तर	सही उत्तर
1	पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तर हैं, जिसमे आप किस स्तर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं	9	24
2	पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में आपकी पंचायत किस स्तर के नीचे/अधीन आती हैं	14	19
3	इस पद के चुनाव में आपको कितने वोट मिले थे	15	18
4	आपने जिस उम्मीदवार को हराया उसका क्या नाम है	19	14
5	आप इस पद पर कब से कार्यरत हैं	8	25
6	आपकी पंचायत में कितने वार्ड हैं	5	28
7	राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है	21	12
8	आपने पंचायती राज दिवस कब मनाया	27	6

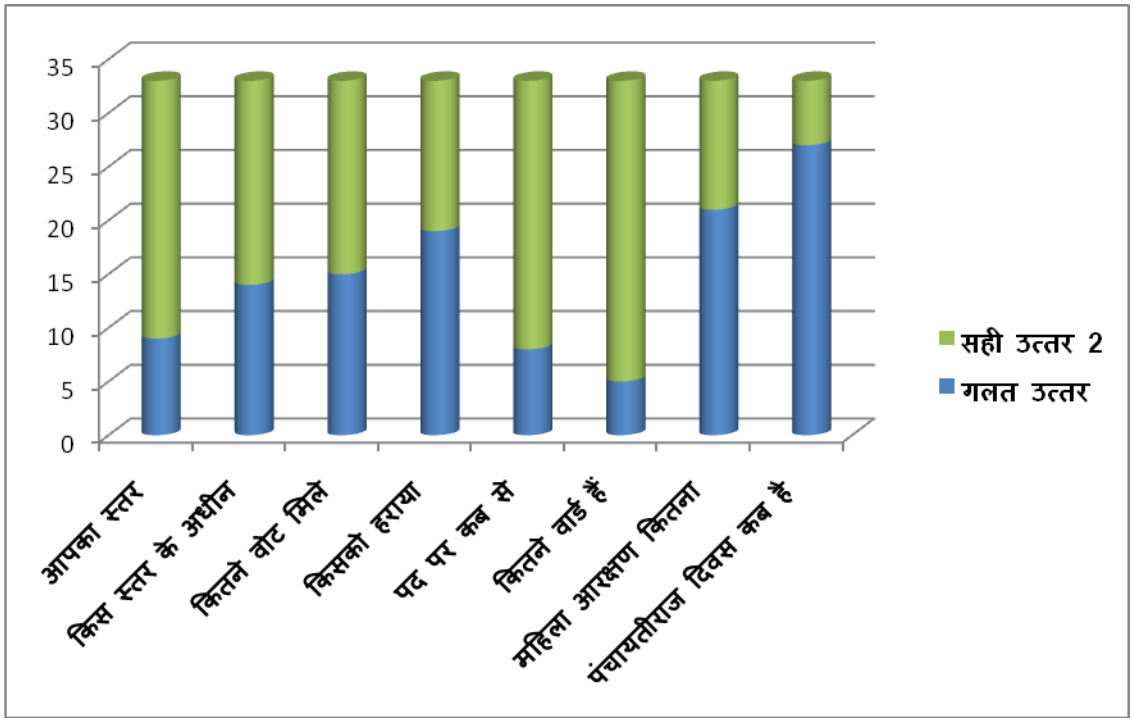
35
30
25
20
15
10
5
0
आपका स्तर
किस स्तर के अधीन
कितने वोट मिले
किसको हराया
पद पर कब से
कितने वार्ड नं०
महिला आरक्षण कितना
पंचायतीराज दिवस कब नं०
सही उत्तर 2
गलत उत्तर

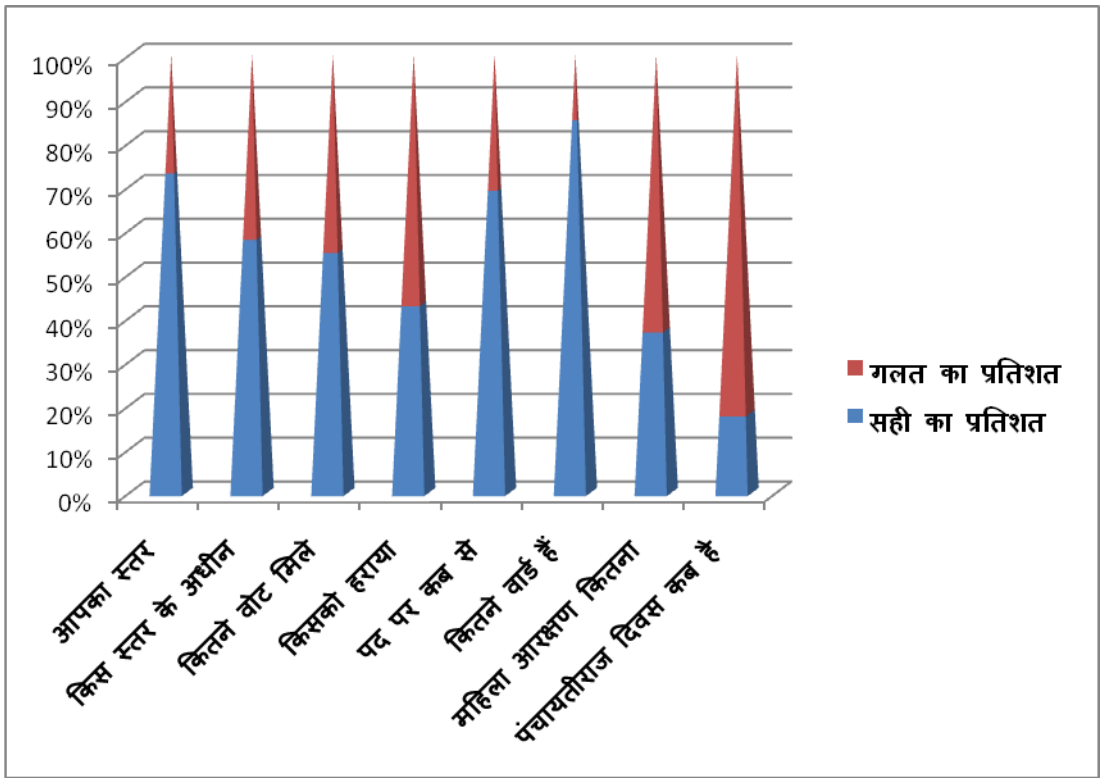
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
आपका स्तर
किस स्तर के अधीन
कितने वोट मिले
किसको हराया
पद पर कब से
कितने वार्ड नं०
महिला आरक्षण कितना
पंचायतीराज दिवस कब नं०
गलत का प्रतिशत
सही का प्रतिशत

तालिका संख्या 23 वर्तमान में कार्यरत महिला प्रतिनिधिओं के पंचायती राज संस्थाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जानकारी स्तर को दर्शाती है | इसके तहत जब महिला प्रतिनिधियों से पूछा गया कि पंचायती राज के तीन स्तरों में से आप किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती कर रही हैं, तो केवल 73 % प्रतिनिधि ही अपने प्रतिनिधित्व के सही स्तर को बयां कर सकी | जब ये पूछा कि आप इन तीन स्तरों में से किस स्तर के अधीन आती हैं तो केवल 58% प्रतिनिधि ही सही जबाब दे पाई, यानि कि लगभग 42% प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों की भी जानकारी नहीं है | तीसरा प्रतिनिधियों के अपने इस पद पर निर्वाचन के समय मिले मतों के बारे में भी 45% प्रतिनिधि नहीं जानते हैं, जबकि किस प्रतिद्वंदी को हराया था उसका नाम केवल 43% प्रतिनिधियों को ही मालूम है | अपने वर्तमान पद पर कब से कार्यरत हैं इस सम्बन्ध में बात करे तो 76% महिला प्रतिनिधि ही जानती हैं और अपनी पंचायत क्षेत्र के अधीन कितने वार्ड हैं इस सम्बन्ध में भी 15% प्रतिनिधियों को नहीं पता है |

पंचायत की एक महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बावजूद 63% महिला प्रतिनिधियों को यह भी नहीं पता है कि महिलाओं को राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में कितना आरक्षण दिया गया है | लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पंचायतों की इन महिला प्रतिनिधियों से अपने एकमात्र दिवस यानि पंचायती राज दिवस के बारे में पूछा गया तो 82% इधर उधर ताकने लगी | और जबाब में कुछ ने कहा कि सर मनाया तो है पर याद नहीं है जबकि कुछ ने कहा कि अच्छा ये योग दिवस ही तो है | बड़े ताज्जुब की बात है की पंचायती राज संस्था की एक अध्यक्ष के नाते पंचायती राज दिवस की ही जानकारी नहीं हो और वह भी तब, जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने अपने पूरे दल-बल के साथ देश के कोने कोने में ढिंढोरा पीट-पीटकर इस दिन को यादगार बना दिया हो | दात देनी होगी ऐसी

पंचायत अध्यक्षाओं को और उनकी जागरूकता को | धन्य हो ऐसी पंचायती राज महिला अध्यक्षाएं जिनसे हम ग्रामोद्धार की अपार आशाएं लिये हुये बैठे हैं |

तालिका संख्या – 24 महिला नेतृत्व के समक्ष समस्याओं को मानने वाली प्रतिनिधि

क्र. सं	पंचायतीराज में महिला नेतृत्व के समक्ष प्रमुख समस्यायें	हाँ	प्रतिशत
1	पर्दा-प्रथा	29	88
2	सामाजिक रीतियाँ	31	94
3	पारिवारिक जिम्मेदारियां	32	97
4	सामाजिक परिवेश एवं पुरुषों की मानसिकता	31	94
5	सामाजिक एवं व्यावहारिक अनुभव की कमी	33	100
6	आर्थिक मजबूरियां	29	88
7	महिलाओं के प्रति बढते अपराध	26	78

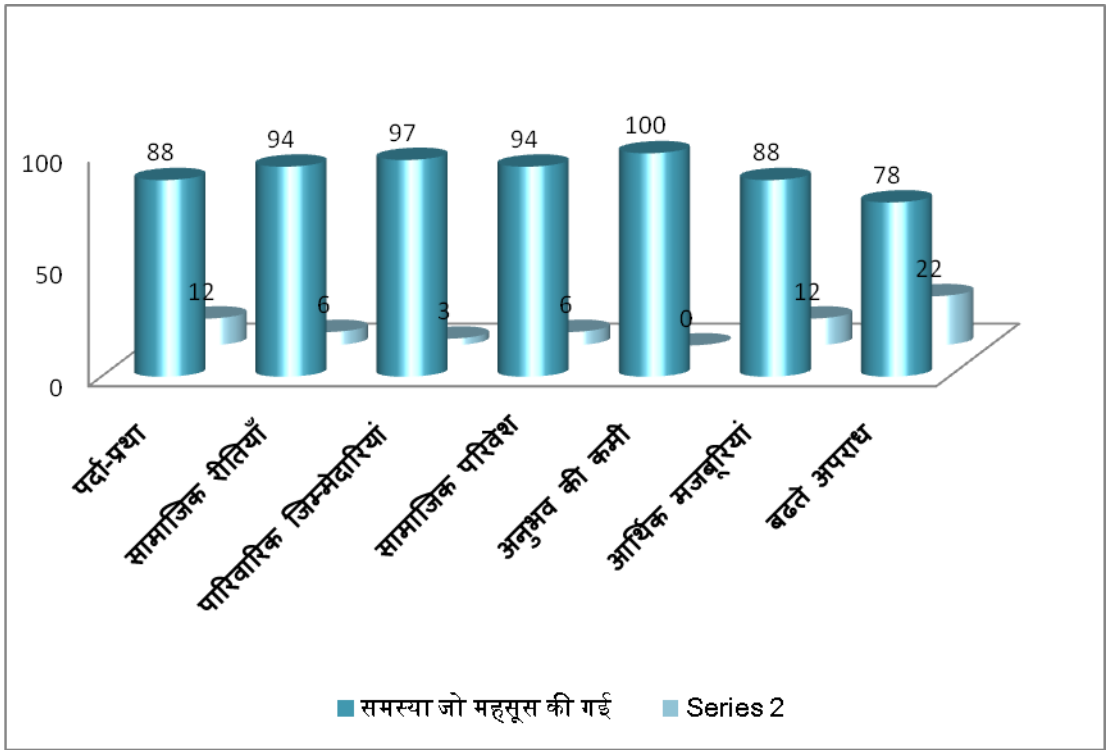

तालिका संख्या 24 जो कि पंचायतीराज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधिओं द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र एवं पद के निर्धारित प्रशासनिक कार्यों को सम्पादित करते समय महसूस की गई बाधाओं को दर्शाती है | जिसमे 88% महिलाओं ने माना की पर्दा-प्रथा के कारण हमें अपने पद की भूमिका निभाते समय बाध्य होना पड़ता है | वहीँ 94% महिला प्रतिनिधियों ने यह अनुभव किया है कि सामाजिक रीति-रिवाज, रिश्ते-नाते एवं पुरुष प्रधान समाज का परिवेश हमारे सामने भौंहें ताने खड़ा रहता है जो एक महिला होने के नाते हमें समाज की पुरुषों द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहने की चेतावनी देता रहता है, जिससे बाध्य होकर अकसर हमें ही पीछे हटना पड़ता है और अधीनता का जीवन ही हमें अपनी भूमिका निभाने में अनेक तरह की मजबूरियों से लाद देता है | इसके साथ ही 97% प्रतिनिधियों ने माना कि एक महिला होने के नाते परिवार में हमारे पूर्व निर्धारित जो भी कर्तव्य होते है, उनसे पीछा छुटवाना असंभव प्रतीत होता है | अतः इन दायित्वों से मुक्त होने के बारे में हम सोचती भी नहीं हैं |

इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधिओं में से 88% ने माना कि हमें अपने पद पर कार्य करते समय भत्ते स्वरूप जो भी मानदेय मिलता है उससे तो घर आने वाले आगंतुकों की आवभगत में भी काम नहीं चलता है साथ ही कई इस तरह के आयोजन भी करने पड़ते हैं जिसके लिये कोई राशि नहीं मिलती है | इन सब खर्चों के मद्देनजर हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं कामकाज में सक्रिय रूप से लगा रहना पड़ता है | यह हमें अपने पद पर सक्रियता के साथ-साथ कार्य करने में बाधक नजर आता है | इसके अलावा 78% प्रतिनिधियों ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, क्रूरता एवं असुरक्षा की भावना भी एक बाधक बना हुआ है | जबकि सभी महिला प्रतिनिधियों ने एक सुर में इस बात को स्वीकार किया कि सामाजिक एवं व्यावहारिक समझ व अनुभव की कमी उन्हें न केवल निर्णय लेते समय महसूस होती है बल्कि पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहने को भी मजबूर कर देती हैं |

पंचायती राज में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न साक्षात्कार पर आधारित इस अध्ययन में व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी हासिल हुई | यह बात तथ्यों के आधार पर तो सही है कि वर्तमान पंचायतीराज संस्थानों में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों में 66% युवा हैं जैसा की तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है एवं साथ में शिक्षित भी हैं | अतः स्पष्ट होता है की आज महिलाओं में भी विशेष रूप से युवा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी का स्तर बढ़ गया है लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ और ही नजारा रहा है | एक लड़की की शादी होती है 18 वर्ष की उम्र या उसके बाद, ग्रामीण परिवेश में शादी होने के बाद ससुराल में 5-7 साल तक (या ज्यादा भी हो सकती है, यह परिवार एवं समाज पर निर्भर करता है) वह घूँघट में ऐसे रहती है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्यों सहित गाँव के आम लोग उसका चेहरा तक देखने के लिये तरस जाते है जबकि किसी से बात करना तो अपने को आफत में डालने से कम नहीं है | हालाँकि बच्चों के साथ बातचीत करने के मामले में इसमें कुछ ढील मिली हुई हो सकती है |

अब इस वातावरण में एक नई दुल्हन के रूप में ही उसे पूरे गाँव व समाज को समझना होता है | ऊपर से परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी इतनी होती हैं की उस बेचारी थकी हारी नारी को अगर दिन में दो घड़ी सुस्ताने का अवसर मिल जाये तो भगवान के साक्षात् दर्शनों के समान है | इसके अलावा घर से बाहर अकेले एवं बिना किसी विशेष काम के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है | इस तरह वे पंचायत के पांच गाँव या 35 ढाणीयों को तो क्या सिर्फ अपने ससुराल को ही जानती हो वही बहादुरी की बात होगी | और इन्ही में से हैं हमारी वो 66% युवा, तेजस्वी, यशस्वी, शिक्षित, होनहार एवं समाज सेवी महिला प्रतिनिधि जिन पर हमें नाज है, एवं जिनसे हम सामाजिक उद्धार की असीम सम्भावनाये लिये बैठे हैं | हालाँकि इनमे से 45% प्रतिनिधि ऐसी भी हैं जो कि न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक स्तर से उच्च शिक्षा प्राप्त है लेकिन यह शिक्षा किस काम की जब उनके पास इसे प्रदर्शित करने के अवसर ही उपलब्ध न हों | हमारी इन प्रतिनिधियों में 97% विवाहित हैं जिनमे 58% संयुक्त परिवारों से हैं अतः उन्हें परिवार में उस शिष्टाचार को भी झेलना पड़ता है, जिसे कालेज जीवन में रैगिंग के रूप में प्रतिबंधित किया गया है | और अगर बात करें अविवाहित महिला प्रतिनिधियों की तो उनको भी अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं मिलती है | और तो क्या जब मैंने एक अविवाहित प्रतिनिधि से अपना उद्देश्य बताते हुये मिलने का निवेदन किया तो उनके पिता ने साफ मना कर दिया गया, कि जो कुछ भी पूछना है मेरे से ही पूछ लो सब काम मैं ही करता हूँ | लेकिन जब मैंने भी अपनी तिकड़म लगाई तो कहा कि चल तुझे जो भी पूछना है मेरे सामने ही पूछ ले | अचरज की बात तो यह है की इस तरह के बयां देने में इनको जरा भी हिचक नहीं होती है | इस सम्बन्ध में खुद उस महिला प्रतिनिधि ने मौका मिलते ही स्वीकार किया है, कि वैसे तो आप सब कुछ देख चुके हैं और सच यह है कि पापा मुझे कभी भी अकेली नहीं छोड़ते एवं न ही व्यक्तिगत रूप से कोई बयान देने की इजाजत है और फिर जहाँ जरुरी समझते वहाँ ही मुझे साथ लेकर जाते हैं अन्यथा नहीं ले जाते हैं |

इस तरह की बंदिशें न केवल एक या दो बल्कि लगभग 70% प्रतिनिधियों पर लगी हुई हैं | हालाँकि 79% महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि पुरुष प्रतिनिधि हमारे विचारों की अवहेलना नहीं करते हैं | जबकि वास्तविकता यह है कि लगभग 91% प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से न तो काम करने की एवं न ही विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, ऐसा मैंने अपने अध्ययन के दौरान पाया है | इस सम्बन्ध में कुछ तो महिलायें स्वयं पुरुष आधिपत्य में रहने की इतनी अभ्यस्त हो चुकी हैं कि उन्हें यह प्रभुत्व अखरता ही नहीं है जबकि कुछ महिला प्रतिनिधि होने के नाते इनकी मजबूरियां भी हैं जिसके कारण पुरुषों की शरण में जाना ही पड़ता है | जैसे पंचायत क्षेत्र एवं सभाओं में जाने के लिये पुरुष सदस्य एवं साधन की जरुरत पड़ती है | इसके साथ ही आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहना होता है क्योंकि प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में मात्र 3500/- रूपये मिलते हैं, जबकि पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निर्वहन करने के लिये कई तरह के ऐसे खर्चे करने होते हैं जिनकी किसी भी कोष से प्राप्ति या संभरण नहीं होता है | इस तरह ये खर्चे मिलने वाले मानदेय से लगभग चार से पांच गुने हो जाते हैं | इसके अलावा महिला प्रतिनिधियों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण (जैसा की तालिका संख्या 7 एवं 8 में दर्शाया गया है) उन्हें अपने परिवार की परवरिश एवं स्वयं का अस्तित्व बनाये रखने हेतु अपने खानदानी पेशे में संलग्न रहने या किसी दूसरी तरह के पेशों में लगे रहने को बाध्य करती है, जिसके कारण उनकी बेहतर नेतृत्व देने एवं सक्रिय अध्यक्ष के रूप में भूमिका निर्वहन की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं | अतः आज की युवा महिला प्रतिनिधि नाममात्र के अध्यक्ष की तरह केवल विशेष अवसरों की शोभा बढ़ाने वाली महिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में ही नजर आ रही हैं |